कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) वनमण्डल बैतूल, (म.प्र.)

पता – कालेज रोड, गांधीनगर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) पिन : 460001

E-Mail : dfotsbetul@mp.gov.in Ph. & Fax No. 07141-234266

क्र0 / मा.चि. / 2919 बैतूल, दिनांक 26 / 06 / 2020

प्रति,

सहायक महाप्रबंधक (योजना)
दूरसंचार जिला–प्रबंधक, बैतूल

विषय :– बैतूल एस.एस.ए. में नोफन प्रोजेक्ट फेस-II के तहत् वन विभाग की अनुमति बाबत्। (**Proposal No. FP/MP/OFC/35877/2018**)

संदर्भ :–
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पृ. पत्र क्र. / एफ–5 / 2018 / 10–11 / 3786 दिनांक 10.12.2018
2. कार्यालयीन पृ. पत्र क्र. / मा.चि. / 845 दिनांक 18.02.2020
3. कार्यालयीन पत्र क्र. / मा.चि. / 2095 दिनांक 12.05.2020
4. स्थल निरीक्षण दिनांक 06.06.2020

–– 0 ––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके विषयांकित प्रस्ताव (Proposal No. FP/MP/ OFC/ 35877/2018) अन्तर्गत अनुमति हेतु कुल आवेदित एवं सर्वेक्षण में प्राप्त वास्तविक वन प्रभावित क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका–01

S.no	Route/ Comprtment Detail	Forest Land(ha.)	संयुक्त सर्वेक्षण में वास्तविक वन प्रभावित क्षेत्र
1	1- AAMNATH (Gounapur to Malgio Road (R.F.-942)	0.0225	--
2	2- Maharastra Area (Isapur to Gounapur Road)	0.0495	--
3	3- Isapur (Patten to Varud Road) (P.F.-936)	0.189	0.157
4	4- Perbhat-Pattan-P-937	0.063	0.057
5	5- Sawri-P-935	0.135	--
6	SARAD(CHICHDHANA-SELGAON KHEDI) PF-1106&PF11.07	0.18	0.077
7	SAIKHANDARA(JAGDHAR FOREST) PARTAPUR-PARSODI VILLAGE	0.045	0.235
8	DABKA GP (DABKA RESERVE FOREST) RAJAPUR KUNDHA VILLAGE	0.333	0.15
	Toatl :-	**1.017**	**0.676**

उपरोक्तानुसार आवेदित वनक्षेत्र में से अनुक्रमांक 07 पर दर्शित रूट का मेरे द्वारा दिनांक 06.06.2020 को किये गये संयुक्त स्थल निरीक्षण में आपके द्वारा बिछाई जाने वाली भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन

आमला परिक्षेत्र अन्तर्गत अनुक्रमांक 07 पर दर्शित रूट / आवेदित राजस्व वनक्षेत्र ग्राम–परतापुर, ख.नं.–53 का मेरे स्वयं के स्थल निरीक्षण दिनांक 06.06.2020 अनुसार प्रस्तावित ओ.एफ.सी. लाईन राजस्व वनक्षेत्र के मध्य से निकलेगी जबकि आपके द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन प्रस्ताव अनुसार उक्त क्षेत्र की KML File में आवेदित लाईन जो Google Earth पर Point & Line Option से तैयार की गई है। जिसमें लाईन मार्ग के किनारे–किनारे गुजरती दर्शित होती है।

विषयांकित प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राईट ऑफ वे (ROW) के तहत् अनुमति विषयक कार्यवाही प्रचलित है। चूकि प्रस्तावित लाईन मार्ग के किनारे–किनारे न डाली जाकर विचलन होकर वनक्षेत्र के मध्य से होकर गुजरने अर्थात् राईट ऑफ वे (ROW) के बाहर डाली जाने के

कारण अनुमति विषयक अधिकार वनमंडलाधिकारी के अधिकारिता के बाहर है। जिसकी अनुमति संबंधी कार्यवाही भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा होगी। प्रकरण में आपको वन प्रभावित क्षेत्र का वन अधिकार अधिनियम के तहत् कलेक्टर का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जाना होगा एवं प्रभावित होने वाली वनभूमि के नेट प्रजेन्ट वेल्यू (NPV) की राशि जमा की जानी होगी।

आपके द्वारा वनमंडल अन्तर्गत आवेदित क्षेत्र अंतर्गत 08 रूटों में से 01 रूट के ही स्थल निरीक्षण में उक्तानुसार भिन्नता आने के कारण शेष समस्त 07 रूटों का भी पुनः संयुक्त सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है। ताकि यह सुनिश्चित हो सके की आपके द्वारा आवेदित ओ.एफ.सी. लाईन राईट ऑफ वे (ROW) के अंदर ही है अथवा बाहर। यह परीक्षण हो जाने के उपरांत ही प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। अर्थात् जो क्षेत्र राईट ऑफ वे (ROW) के अंतर्गत आयेगा उसकी अनुमति हेतु संबंधित भाग–2 भरकर वनमंडल द्वारा मुख्य वनसंरक्षक महोदय को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा सकेंगा एवं जो क्षेत्र राईट ऑफ वे (ROW) के बाहर आयेगा उसकी अनुमति विषयक कार्यवाही भारत सरकार द्वारा होगी।

अतः तालिका–01 अनुसार समस्त रूटों में वन प्रभावित क्षेत्र में 10–10 मी. के अन्तराल पर खूटी गाड़कर एवं चूना डालकर चिन्हाकित कर दिया जावे। आगामी सप्ताह में मेरे द्वारा स्वयं समस्त क्षेत्रों का आपके हमराह संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जायेगा। रूटवार स्थल निरीक्षण की सूचना आपको एक दिवस पहले दे दी जावेगी।

(पी.डी. ग्रेबियल)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल
बैतूल, दिनांक /06/2020

पृ.क्रमांक/मा.चि./

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त, बैतूल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. उपवनमंडलाधिकारी आमला/मुलताई (सा.) एवं परिक्षेत्र अधिकारी आमला/ताप्ती/मुलताई/आठनेर (सा.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर लेख है कि विषयांकित प्रकरण में अनुमति पूर्व वनक्षेत्र में आवेदित कार्य नहीं होने दिया जाना सुनिश्चित करें। उल्लघंन पाये जाने की स्थिति में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही कर वनमंडल कार्यालय को सुनिश्चित करें। आवेदित क्षेत्र के संयुक्त स्थल निरीक्षण की सूचना प्राप्त होने पर निर्धारित तिथि/समय/स्थल पर आवश्यक अभिलेखों सहित उपस्थित रहना सुनिश्चित करे।

Sd/-
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल